परिवहन विभाग

1. संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य :-

परिचय मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन विभाग इसके लिये लगातार प्रयासरत है कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण कर राज्य की उन्नति में सहभागी बनें।

परिवहन विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके तहत वाहन निबंधन, अनुज्ञप्ति निर्गमन सहित कई मूलभूत सेवाएँ ऑनलाईन प्रदान की जा रही हैं। करों के भुगतान हेतु ई-पेमेंट की व्यवस्था की गयी है एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। ई-शासन (E-Governance) के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सभी कार्यों में व्यापक सुधार का प्रयास किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक ओर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से सिटी बस सर्विस, अन्तर्राज्यीय बस सेवा, अन्तर्देशीय बस सेवा के सफल परिचालन के साथ-साथ ''एग्रीगेटर पॉलिसी'', ''उबर टैक्सी सर्विस'' ''बाइक टैक्सी'', ''रेन्ट ए कैब'' इत्यादि से शहरी परिवहन को बढ़ावा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तक परिवहन सेवा के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए व्यापक कदम उठाये गये हैं।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के तहत कार्य किये गए जिनमें निजी बस परिचालकों के साथ निगम को संबद्ध किया गया। इससे निगम की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। राज्य के विभिन्न शहरों में सस्ते और सुलभ परिवहन सुविधा हेतु बुडको द्वारा उपलब्ध कराये गये बसों का परिचालन, बिहार एवं अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के अनुरूप किया जा रहा है।

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र, फुलवारी शरीफ नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने की तिथि को 31.03.2022 तक की गई है। सी.एन.जी. चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिये ''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' की शुरूआत की गई है। जिसके तहत पेट्रोल अथवा डीजल चालित तिपहिया वाहनों का सी0एन0जी0 चालित तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापन अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया

- वाहनों में रेट्रोफिटमेंट अथवा पेट्रोल चालित मोटर कैब में रेट्रोफिटमेंट कराने पर अनुदान स्वरूप प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, ताकि ''वाहन जनित प्रदूषण'' स्तर कम हो एवं स्वच्छ परिवेशीय वातावरण में नागरिक जीवन बसर कर सके।

राज्य में बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि की स्थापना कर इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रू0 एवं गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रू0 तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत परिक्रमी कोष के रूप में राशि का भी प्रावधान किया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार सड़क सुरक्षा संबंधी कई कार्य किये जा रहे हैं। ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान औरंगाबाद में खोला गया है। भविष्य में अन्य स्थानों पर ड्राइविंग ट्रेनिंग हेतु बेहतर व्यवस्था की जायेगी।

भारत सरकार के अधिसूचना के आलोक में विभाग द्वारा राज्य में निजी क्षेत्र हेतु स्वचालित परीक्षण केन्द्र (Automated Testing Station) की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इसकी स्थापना से वाहनों का ऑटोमेटेड फिटनेस जाँच होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सकेगी।

परिवहन विभाग की प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्त्तन को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक एवं चलन्त दस्ता सिपाही के पदों की संख्या में वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुरूप बढ़ोत्तरी की गयी है, जिसमें कतिपय कारण से कुछ चलन्त दस्ता सिपाही को छोड़कर सभी चलन्त दस्ता सिपाही की नियुक्ति कर ली गई है। मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही एक पृथक एवं डेडीकेटेड बिहार परिवहन सेवा नियमावली का भी गठन किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- मोटर परिवहन नियंत्रण
- मोटर गाड़ी करारोपण
- जल परिवहन विकास से संबंधित सभी कार्य
- राज्य में रेलवे योजनाओं के निर्माण एवं विकास के लिये समन्वय का कार्य
- घाट (फैरीज)
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का नियंत्रण
- विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण
- विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार